

बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय

BIHAR UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES

मीठापुर, पटना-800 001 (बिहार)

Tel-0612-2356912, 2356913, Email-registrarbuhs-bih@gov.in

अधिसूचना

पटना, दिनांक 30/01/2024

अ.सं.-संबं.-6032(पार्ट-I)/2023-91 / बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना की तदर्थ संबद्धता समिति की बैठक में दिनांक-29.01.2024 को गैर-सरकारी फार्मसी महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा संबद्धता हेतु समर्पित आवेदनों पर सम्यक् विचारापरांत लिए गए निर्णय के आलोक में निम्नांकित सूची के कॉलम सं० 2 में अंकित गैर-सरकारी फार्मसी महाविद्यालयों/संस्थानों को कॉलम सं० 4 में अंकित पाठ्यक्रम एवं कॉलम 5 में अंकित नामांकन क्षमता के लिए बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना से सत्र-2023-24 हेतु औपबधिक संबद्धता (Provisional Affiliation) निम्नांकित नियम एवं शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है।

Sl No.	Name of the Pharmacy Institute	District	Course	Intake Capacity
1	2	3	4	5
1	Sri Bhagwat Prasad Singh Memorial Institute of Higher Education	Aurangabad	D. Pharm	60
2	Muzaffarpur College of Professional Education	Muzaffarpur	D. Pharm	60
3	Shakuni Choudhary College of Health & Sciences	Munger	D. Pharm	60
4	Shyam Sai Institute of Education	Siwan	D. Pharm	60
5	Chanakya Foundation	Patna	D. Pharm	60
6	Manav Bharti College of Pharmacy	Gaya	D. Pharm	60
7	Vedant Institute of Education and Technology	Vaishali	D. Pharm	60
8	Academy of Pharmacy Medical and Management Studies	Bhojpur	D. Pharm	60

नियम एवं शर्तः:-

1. औपबधिक संबद्धता "Regulation for Provisional Affiliation and Fee for Affiliation" की धारा 8 में निहित प्रावधानों के तहत सशर्त प्रदान की जा रही है।
2. औपबधिक संबद्धता सक्षम प्राधिकार द्वारा अनुमोदित किए जाने एवं अन्य शर्तों के अधीन होगी।
3. यदि किसी महाविद्यालय/संस्थान द्वारा सत्र-2022-23 का संबद्धता पत्र समर्पित नहीं किया गया है, तो वैसे महाविद्यालय/संस्थान नामांकन लेने के पूर्व सत्र-2022-23 का संबद्धता पत्र समर्पित करेंगे।
4. यदि किसी महाविद्यालय/संस्थान द्वारा सत्र-2023-24 हेतु संबंधित Pharmacy Council of India (PCI), New Delhi से नामांकन की अनुमति प्राप्त नहीं की गई है, तो वैसे महाविद्यालय/संस्थान सत्र-2023-24 में बिना PCI, New Delhi की अनुमति प्राप्त किए नामांकन नहीं लेंगे। नामांकन की अनुमति प्राप्त होने पर अविलंब इसकी एक प्रति यथाशीघ्र विश्वविद्यालय में समर्पित करेंगे।
5. किसी भी महाविद्यालय/संस्थान द्वारा PCI, New Delhi से Approved सीटों से अधिक नामांकन नहीं लिया जाएगा। PCI, New Delhi द्वारा स्वीकृत एवं विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता दी गई सीटों की संख्या में किसी प्रकार की भिन्नता की स्थिति में PCI, New Delhi द्वारा स्वीकृत सीटों की संख्या ही मान्य होगी।
6. यदि किसी महाविद्यालय/संस्थान द्वारा आवेदन के साथ Application Fee तथा Inspection-Cum-Processing Fee के रूप में निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा किया गया है, तो उन्हें निर्देश दिया जाता है कि अविलंब निर्धारित शुल्क की राशि विश्वविद्यालय में जमा कर दें।